स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

दिनांक 16.01.2014 को प्रात: 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल की 89वीं बैठक की कार्यवृत्त

निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

1.	प्रोफेसर अनिल कुमार दाहमा, कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	डॉ० गोविन्द सिंह, निदेशक अनुसंधान	सदस्य
3.	डॉ० पी० पुण्डीर, निदेशक, पी०एम०एण्ड ई०	सदस्य
4.	डॉ० राजेश शर्मा, निदेशक, कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्ध संस्थान	सदस्य
5.	डॉ० एस०एल० गोदारा, क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान	सदस्य
6.	श्री के०के० पोटलिया, संयुक्त निदेशक कृषि प्रतिनिधि आयुक्त कृषि	सदस्य
7.	डॉ० एम०एल० रेगर, सहायक आचार्य	सदस्य
8.	श्रीमति अदिति माथुर, सहायक आचार्य	सदस्य
9.	श्री जे०पी० स्वामी, वित्त नियंत्रक	सदस्य
10.	सुश्री ऋषिबाला श्रीमाली, कुल सचिव	**सदस्य सचिव**

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा मनोनित डॉ० (श्रीमति) नूरजहाँ एन० गनिहार, डॉ० पी०एम० सालीमथ, राज्य सरकार द्वारा मनोनित डॉ० के०एम०एल० पाठक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा मनोनित डॉ० एस०के० शर्मा तथा अति० मुख्य सचिव (कृषि), प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) एवं प्रमुख शासन सचिव (पशु पालन) प्रबंध मण्डल की बैठक में भाग नही ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में कुल सचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा माननीय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया साथ ही नये मनोनीत सदस्य डॉ० एल०एल० गोदारा का स्वागत किया व श्री संतोष कुमार सहारण, पूर्व विधायक एवं डॉ० एस० गंगोपाध्याय, अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर शिक्षा द्वारा प्रबन्ध मण्डल में दी गई सेवाओं की सराहना की गई ।

मद संख्या	विवरण
स्वाकेराकृवि/बोम—89/ 2014-1/1242	**43वीं विद्या परिषद् बैठक दिनांक 09.01.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 43वीं विद्या परिषद् बैठक दिनांक 09.01.2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम—89/ 2014-1/1243	**88वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 88वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
स्वाकेराकृवि/बोम—89/ 2014-1/1244	**88वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2013 के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 88वीं प्रबन्ध मण्डल बैठक दिनांक 22.08.2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्न के साथ की जाती है :- 1. **मद संख्या : स्वाकेराकृवि/बोम-88/2013-4/1231** में वर्णित विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक प. 660/स्वाकेराकृवि/ स्थापना/ग्रुप-2/13/822 दिनांक 29.06.2013 एवं आदेश क्रमांक प. /स्वाकेराकृवि/ स्थापना/ग्रुप-2/13/821 दिनांक 29.06.2013 को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये प्रेषित कर दिया जावें । 2. **मद संख्या स्वाकेराकृवि/बोम-88/2013-4/1234** में गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें ।
स्वाकेराकृवि/बोम—89/ 2014-1/1245	**माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशो की पुष्टि करने बाबत् ।** 1. आदेश क्रमांक प.196(B)/एसकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-I/ 2013/ 258 दिनांक 12.11.2013. 2. आदेश क्रमांक प.196(B)/एसकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-I/ 2013/ 259 दिनांक 18.11.2013. 3. आदेश क्रमांक प.196(B)/एसकेराकृवि/सामान्य/ग्रुप-I/ 2013/ 260 दिनांक 18.11.2013. 4. आदेश क्रमांक प. /एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-I/2013/ 5511 दिनांक 26.12.2013 5. आदेश क्रमांक प. /एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-I/2013/ 5512 दिनांक 27.12.2013 6. आदेश क्रमांक प.674/एसकेराकृवि/स्थापना/ग्रुप-II/ 2013/ 1252 दिनांक 31.12.2013. यह पारित (Resolved) किया गया कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि निम्न के साथ की जाती है :- विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक आदेश क्रमांक प.674/ एसकेराकृवि/ स्थापना/ग्रुप-II/ 2013/ 1252 दिनांक 31.12.2013 को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिये प्रेषित कर दिया जावें ।

स्वाकेराकृवि/बोम–89/ 2014-1/1246	उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 3(33) कृषि-3/2010 दिनांक 01.10.2013 के द्वारा विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 88वीं बैठक दिनांक 22.08.2013 के मद संख्या स्वाकेराकृवि/ बोम-88/2013-4/1232 में पारित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के पुन: पेंशन विकल्प के निर्णय को माननीन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में निरस्त कर प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने बाबत् । यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की 88वीं बैठक दिनांक 22.08.2013 के मद संख्या स्वाकेराकृवि/ बोम-88/2013-4/1232 में पारित विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के पुन: पेंशन विकल्प के निर्णय को माननीन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में निरस्त कर प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने की पुष्टि की गई ।
स्वाकेराकृवि/बोम–89/ 2014-1/1247	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ. 27(12) आरबी/2010/10388 दिनांक 18.12.2013, जिसमें विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा ने स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 1987 (संशोधित अधिनियम 2013) की धारा 19(1) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया जाना है । चयन समिति में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य का मनोनयन किया जाना है । यह पारित (Resolved) किया गया कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अधिनियम 1987 (संशोधित अधिनियम 2013) की धारा 19(1) के अन्तर्गत नये कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए चयन समिति में विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल द्वारा एक सदस्य के रूप में डॉ० ए०एस०फरोदा, पूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक चयन मण्डल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का मनोनयन किया गया ।

स्वाकेराकृवि/बोम–89/ 2014-1/1248	**अन्य प्रकरण माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से विचार किया जायेगा ।** 1. निजी कृषि महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किए जानें के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई । तत्पश्चात् यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :- i. स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से विभाजन पश्चात् तीन नवीन कृषि विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जानें के फलस्वरूप उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले निजी कृषि महाविद्यालयों की सम्बद्धता शैक्षणिक सत्र 2014-15 से उनके अधीन करने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जावें । ii. राज्य सरकार से निवेदन किया जावें कि स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अधीन क्षेत्राधिकार में वर्तमान में 9 निजी कृषि महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है । अतः नये निजी कृषि महाविद्यालय नही खोले जावें एवम् खोलने हेतु विश्वविद्यालय से राय पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करें ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(ऋषिबाला श्रीमाली)
कुल सचिव
एवं
सदस्य सचिव

(प्रो० ए०के० दाहमा)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल